न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बायतु, जिला– बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री राजनराम आर.टी.एस

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार पटवारी हल्का छीतर का पार		[illegible] / [illegible] कौम जाट निवासी छीतर का पार

मुकदमा नम्बर 69 / 2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2020

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हे कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2076 में ग्राम **छीतर का पार** के खसरा नम्बर **570/258** कुल रकबा 76.10 बीघा भूमि में से 200 वर्ग फीट किस्म **गै. मु. बेरी भूमि पर** अनाधिकृत रूप से काश्त/कब्जा कर लिया गया है। पटवारी हल्का **छितर का पार** द्वारा रिपोर्ट पेश की , जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्रार्थी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है। ग्राम पचांयत छीतर का पार द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 197/16 व 198/16 तरमीम शुद्धी व स्थगन से सम्बन्धित आवेदन को दिनांक 05.11.2020 को खारीज किया गया है। विप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 0.10 रू .... गुणा जुर्माना रू 100/– अखरे एक सौ रूपये मात्र किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल हो। विप्रार्थी को मोके तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व त.रा.ले. तहसील हाजा आदेश से सूचित हो ,पत्रावली फैसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो । निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 11·11·20 को खुले न्यायालय मं सुनाया गया।

तहसीलदार एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट बायतु